प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला**– जयपुर, **थाना**–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022 **प्र0इ0रि0 सं.** 416/2022 **दिनांक** 19/10/2022
2. (I) **अधिनियम...** धारा 7 पी0सी0 (संशोधित) एक्ट 2018
   (II) ***अधिनियम** .... **धारायें**
   (III) * **अधिनियम** ..... **धारायें** .....
   (IV) * **अन्य अधिनियम एवं धारायें** 120 बी आई.पी.सी.....

(अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** .....344..... **समय** 6:45 pm

(ब) **अपराध घटने का दिन** सोमवार **दिनांक** 18.10.2022 **समय 09:15 ए.एम.**

(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** .....

3. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक–** **लिखित**
4. **घटनास्थलः–** प्लाट नम्बर 21/197, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब दक्षिण पश्चिम, करीब 10 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....
5. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
   (अ) नाम– बनवारी लाल जाट
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री मोहन लाल जाट
   (स) जन्म तिथी– उम्र– .....32.. साल
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता– ग्राम पोस्ट जोरावर नगर, तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर।
6. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**

1. श्री गुलाबसिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति जाट, उम्र 58 साल ग्राम मोती का नंगला तहसील कुम्हेर, थाना कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवास प्लाट नम्बर 21/197, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट, जयपुर।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री अजीराम डागुर, जाति जाट उम्र 57 साल निवासी गांव पालतू थाना नगर जिला भरतपुर हाल प्लाट नम्बर 498 स्कीम नम्बर 2 लाजपथ नगर थाना कोतवाली अलवर हाल फ्लेट नम्बर 205, इम्पिरियल फ्लेट, प्लाट नम्बर 47 रामनगर चौराहा के पास सिविल लाईन्स जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर।
3. अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर।

7. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....**
8. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....**
9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** 30000/– रूपये
10. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....**
11. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–**

दिनांक 22.07.2022 को समय 2.15 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति से परिचय करवाकर बताया कि ये बनवारी

लाल जाट है जिनकी फर्म के द्वारा किये गये कार्यों के बिल पास किये जाने के लिए राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कमिशन के रूप में रिश्वत की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में परिवादी बनवारी लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मुझ उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। इस पर मैं परिवादी श्री बनवारी लाल जाट एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी बनवारी लाल जाट ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरा नाम बनवारी लाल जाट पुत्र श्री मोहन लाल जाट ग्राम पोस्ट जोरावर नगर तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर मो.न. 9772002798 है। परिवादी बनवारी लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें परिवादी द्वारा अंकित किया गया है कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ACB जयपुर विषयः— भ्रष्ठ अधिकारीयो को पकडवाने हेतू महोदय उक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स मोहन सिंह ठेकेदार जोरावर नगर श्रीमाधोपुर सीकर जो कि मेरे पिताजी के नाम से Reg. फर्म है जिसकी कार्यों की देखभाल मैं(बनवारी लाल जाट) करता हूँ हमारी Govt. Construction फर्म का कार्य करती है। वर्तमान में हमारी फर्म द्वारा RSAMB Dep. Terminal Market जयपुर के कार्य (1 const. of Vet. Hospital Pkg Chomu 2 const. of Vet. Hospital Pkg Amer) के कार्य करवाये है महोदय सम्बंधित विभाग द्वारा मेरे से पैसे की मांग की जाती है एवं राजस्थान स्टेट एग्रीक्लचर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी 1 Xen Surendra choudhary 2 (Aen) Gulab Singh choudhary 3 Prinyanka choudhary(Jen) के द्वारा मेरी फर्म के रनिंग एवं पेडिंग बिल पास करने के लिए 8 से 10% कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग करते है मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई रजिंस नहीं एवं ना ही इनसे कोई लेनदेन है। प्रार्थी एस.डी **Banwari Lal Jat Mob. 9772002798 Banwari Lal Jat S/O Mohan Lal Jat Vpo- Jorawar Nagar, Teh- Shrimadhopur distric-Sikar(Raj) Pin- 332708** मजीद दरियाफ्त पर परिवादी बनवारी लाल ने बताया कि मेरी फर्म द्वारा आरएसएएमबी (राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर) के अन्तर्गत विभिन्न हॉस्पिटल के निर्माण संबंधी कार्य किये जा रहे है वर्तमान में वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज चौमू व वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज आमेर का कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है जिसके बिल व रनिंग बिल संबंधित विभाग के एक्सईएन, एईएन, जेईएन द्वारा तैयार किये जा रहे है। फर्म के रनिंग व पेण्डिंग बिल पास करने के लिए इनके द्वारा मेरे से 8 से 10 प्रतिशत रिश्वत राशि कमिशन के रूप में मांगी जा रही है। पूर्व में भी मेरे द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत कार्य किये गये है जिनके बिल पास करने के लिए संबंधित विभाग के एक्सईएन, एईएन, जेईएन द्वारा मुझसे बतौर कमिशन रिश्वत राशि ली गई थी जो मेरे द्वारा मजबूरीवश एवं व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण दी गई थी। वर्तमान में मेरी फर्म द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के पेण्डिंग व रनिंग बिल तैयार करने के लिए आरएसएएमबी के एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी, गुलाब सिंह चौधरी एईएन, प्रियंका चौधरी जेईएन द्वारा रिश्वत राशि के तौर पर बतौर कमिशन क्रमशः बिल की राशि का 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत रिश्वत के तौर पर मांग की जा रही है। मैं इन्हे रिश्वत नही देना चाहता और रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। इस संदर्भ में परिवादी द्वारा स्वयं की आई.डी., फर्म मैसर्स मोहन सिंह ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर के द्वारा फर्म मैसर्स मोहन सिंह ठेकेदार को वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज चौमू व वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज आमेर के कार्य करने हेतु जारी वर्क ऑर्डर की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी बनवारी लाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मजीद दरियाफ्त, परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से मामला प्रथम दृष्टया परिवादी बनवारी लाल की फर्म द्वारा आरएसएएमबी (राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर) के अन्तर्गत वर्तमान में वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज चौमू व वेटर्नरी हॉस्पिटल पैकेज आमेर के कार्यों के बिल व रनिंग बिल पास करने हेतु संबंधित विभाग के लोकसेवक एक्सईएन, एईएन, जेईएन द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने पर परिवादी बनवारी लाल जाट से संबंधित विभाग के लोक सेवको का रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी बनवारी लाल जाट को संबंधित लोक सेवको के पास जाकर अपने कार्य से संबंधित वार्ता (सत्यापन वार्ता) करने की प्रक्रिया की समझाईस की गई तो परिवादी बनवारी लाल जाट ने बताया कि वर्तमान में मेरी फर्म द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज पर किया जाने वाला कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। जिसका बिल तैयार करने हेतु संबंधित एईएन गुलाब सिंह चौधरी व जेईएन प्रियंका चौधरी आगामी दिवसों में मौके पर जाकर मेजरमेन्ट कर एमबी भरकर बिल तैयार कर एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी को प्रस्तुत किया जावेगा। उस समय ये सभी मुझसे रिश्वत की मांग

करेंगे उस दौरान इनसे मेरे द्वारा सत्यापन वार्ता किया जाना उचित होगा। मैं उस समय आपको जरिये मोबाइल अवगत करा दूंगा। इस पर परिवादी बनवारी लाल जाट द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुरूप रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आईन्दा करवायी जावेगी। अतः परिवादी बनवारी लाल जाट को बाद हिदायत रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.08.2022 को परिवादी बनवारी लाल जाट ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आज एईएन श्री गुलाब सिंह चौधरी के पास मैं उनके घर पर जाउंगा और गुलाब सिंह जी मेरे साथ मेरी साईट पर जा सकते है इस दौरान मैं गुलाब सिंह एईएन से मेरे कार्यों के संदर्भ में बात करूंगा और गुलाब सिंह एईएन मेरी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों के बिल बनाने के बारे में मेरे से रिश्वत की मांग करेंगे। अतः आप सत्यापन वार्ता हेतु आपके कार्यालय के कार्मिक को मेरे पास कावेरी पथ मानसरोवर भिजवा दे। जिस पर श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66 कार्यालय हाजा को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी बनवारी लाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तथ्यों से अवगत कराया एवं कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित कर उसमें एक नया एसडी कार्ड लगाकर विरेन्द्र कुमार कानि. को रिकॉर्डर सुपुर्द किया व परिवादी के मोबाईल नम्बर नोट कराकर विरेन्द्र कानि. को कावेरी पथ मानसरोवर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर संदिग्ध अधिकारी से परिवादी की सत्यापन वार्ता कराने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 11:40 एएम. पर मन उप पुलिस अधीक्षक की विरेन्द्र कुमार कानि. से जरिये मोबाइल वार्ता हुई जिस पर विरेन्द्र कानि. ने बताया कि मैं निर्देशानुसार कावेरी पथ मानसरोवर पहुंचा जहां पर परिवादी बनवारी लाल जाट उपस्थित मिला जिसने मुझे बताया कि श्री गुलाब सिंह चौधरी एईएन का मकान यहां है जिसके पास मैं जाकर मेरे कार्य से संबंधित वार्ता करूंगा श्री गुलाब सिंह चौधरी एईएन आज मेरे साथ मेरी गाडी में बैठकर मेरी साईट पर भी जा सकते है इस दौरान मेरी उनसे घर पर या साईट पर जाते समय वार्ता होगी। इस पर मन कानिस्टेबल ने परिवादी बनवारी लाल को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई एवं रिकॉर्डर बंद हालत में परिवादी बनवारी लाल को सुपुर्द कर सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया। मन कानि. कावेरी पथ मानसरोवर पर संदिग्ध अधिकारी गुलाब सिंह के मकान नम्बर 21/197 कावेरी पथ मानसरोवर के आसपास मुकीम हुआ। वक्त 3:29 पी.एम. पर श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66 ने स्वयं के मोबाइल से मन उप अधीक्षक पुलिस की परिवादी श्री बनवारी लाल जाट से वार्ता करवायी तो परिवादी ने अवगत कराया कि मैं श्री विरेन्द्र कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रवाना होकर मेरी गाडी से गुलाब सिंह चौधरी एईएन के मकान पर पहुंचा जिसके बाद गुलाब सिंह एईएन मेरे साथ मेरी गाडी में बैठकर मेरी साईट घिनोई पर मेजरमेन्ट के लिए रवाना हुआ इसी दौरान मेरी गुलाब सिंह चौधरी एईएन से मेरी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में वार्ताऐं हुई और इन वार्ताओं में रिश्वत लेन देन के संबंध में भी वार्ता हुई और गुलाब सिंह चौधरी एईएन ने मेरे से मेरी फर्म द्वारा घिनोई में किये गये कार्य के बिल के पेमेन्ट की राशि से संबंधित रिश्वत राशि स्वयं के लिए व एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के लिए प्राप्त की है। मेरी और गुलाब सिंह चौधरी की जो वार्ताऐं हुई है वो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है। वॉयस रिकॉर्डर मैने विरेन्द्र जी को सुपुर्द कर दिया है। परिवादी बनवारी लाल जाट द्वारा आवश्यक कार्य से अन्यत्र जाना बताने पर परिवादी बनवारी लाल को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया तथा विरेन्द्र कानि. को मय वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। वक्त 4:00 पी.एम. पर श्री विरेन्द्र कानि. उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने चालू कर सुना तो वॉयस रिकॉर्डर में लगभग एक घंटे की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, वार्ता में परिवादी बनवारी लाल जाट की वार्ता एक अन्य सांकेतिक व्यक्ति गुलाब सिंह चौधरी एईएन से हुई है जिसमें गुलाब सिंह चौधरी एईएन परिवादी बनवारी लाल की फर्म द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो के काम व इनके बिल बनाने के बारे में वार्ता कर रहा है और इस वार्ता में परिवादी की फर्म द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज के बिल तैयार करने तथा बिल की राशि से संबंधित रिश्वत राशि बतौर प्रतिशत स्वयं के लिए, एक्सईएन के लिए एवं जेईएन तथा अन्य कर्मचारियों को देने के बारे में वार्ता कर रहा है तथा परिवादी की फर्म द्वारा घिनोई में किये गये कार्यों के 1.43 लाख रूपये के पासशुदा बिल से संबंधित रिश्वत राशि के 7 हजार रूपये (तीन प्रतिशत स्वयं के लिए व दो प्रतिशत एक्सईएन के लिए कुल पांच प्रतिशत कमिशन) परिवादी से प्राप्त किये गये है। परिवादी बनवारी लाल जाट व संदिग्ध आरोपी गुलाब सिंह चौधरी एईएन की वॉयस रिकॉर्डर में जो सत्यापन वार्ताऐं दर्ज हुयी है उनसे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि परिवादी

बनवारी लाल जाट की फर्म द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्टों चौमू पैकेज, आमेर पैकेज, घिनोई में निर्माण कार्य किये जा रहे जिनके बिल तैयार करने के कार्य आरएसएएमबी के एक्सईएन, एईएन, जेईएन व अन्य कर्मचारियों द्वारा किये जाते है एवं इन लोकसेवकों द्वारा इस कार्य के लिए परिवादी बनवारी लाल जाट से बतौर कमिशन प्रतिशत वाइज रिश्वत प्राप्त की जाने की प्रथा प्रचलित है। चूंकि इस वार्ता में एक्सईएन, जेईएन व अन्य कर्मचारियों द्वारा भी रिश्वत प्राप्ति के तथ्य होने से अन्य संबंधित लोकसेवकों से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाना आवश्यक होने से इस संदर्भ में परिवादी बनवारी लाल जाट से वार्ता कर अन्य अधिकारीगण से सत्यापन की कार्यवाही आईंदा की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद हालत में सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2022 को समय 12:10 पी.एम. पर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट मन उप अधीक्षक के कार्यालय मे उपस्थित आया एवं अवगत करवाया कि आज मैं आरएसएएमबी (राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, टर्मिनल मार्केट जयपुर) के लालकोठी सब्जी मण्डी स्थित कार्यालय में जाउंगा जहां पर मेरी आरएसएएमबी के एईएन, एक्सईएन, जेईएन व अन्य कर्मचारियों से मेरी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यो के बिल संबंधी बाते होगी, इस दौरान यह अधिकारी मेरे से रिश्वत की मांग करेगें। अतः अग्रिम सत्यापन वार्ता कराये जाने हेतु विरेन्द्र कुमार कानि 66 को अपने कक्ष मे तलब किया तथा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को निकालकर उसका चालु होना सुनिश्चित कर परिवादी को वाईस रिकार्डी की इस्तेमाली प्रकिया समझाकर वाईस रिकार्डर बंद हालत में परिवादी बनवारीलाल जाट को सुपुर्द किया तथा आरएसएएमबी के कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारियों से सत्यापन वार्ता करने हेतु समझाईस कर विरेन्द्र कुमार कानि 66 को परिवादी के साथ रवाना किया। वक्त 4:00 पी.एम. पर रवानाशुदा परिवादी श्री बनवारीलाल जाट मय श्री विरेन्द्र कुमार कानि 66 के उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी बनवारीलाल जाट ने डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद हालत में मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि आपके कार्यालय से विरेन्द्रजी के साथ रवाना होकर समय करीब 12.45 पीएम पर आरएसएएमबी कार्यालय के बाहर पहुंचे जहां पर विरेन्द्र कार्यालय के बाहर ही रूक गये तथा मैं मेरे कार्यो से संबंधित वार्ता करने हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर ऑन करके आरएसएएमबी कार्यालय मे गया जहां पर एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के कमरे में एईएन गुलाबसिंह चौधरी भी थे तथा वहां पर अन्य लोग भी थे जो खाना खा रहे थे जिन्होने थोडी देर बाद आने का मुझे कहां तो मैं वहां से कार्यालय से वापिस बाहर समय करीब 01.20 पीएम पर विरेन्द्रजी के पास आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद कर उनको सारी बात बताई, इसके पश्चात करीब 01.40 पीएम पर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर को पुनः चालु करके आरएसएएमबी कार्यालय में एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के कमरे मे जहां पर गुलाबसिंह चौधरी एईएन पहले से मौजुद था जहां पर एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी व गुलाबसिंह चौधरी से मेरी फर्म द्वारा पूर्व मे किये गये कार्यो एवं वर्तमान मे चल रहे कार्यो के बारे में विस्तृत वार्ताएं हुई इन्ही वार्ताओं के दौरान मेरी फर्म के द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज के कार्य व आमेर पैकेज के कार्य जिनके बिल आरएएएमबी द्वारा बनाये जा चुके है जो पास होने की प्रकिया मे है इन बिलों को पास करने के लिए एक्सईएन व एएईएन ने इन बिलों की राशी से संबंधित रिश्वत राशि बतौर कमीशन मुझसे प्राप्त करने के बारे में वार्ताएं की है और एईएन की उपस्थिति में एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी ने जेईएन प्रियंका चौधरी व अन्य कर्मचारियों को रिश्वत राशि बतौर कमीशन कितना देना है इस बारे में भी वार्ताएं की तथा एक्सईएन ने मुझसे कहा कि बिल पास करने से सुपरीटेन्डेन्ट इन्जिनियर (एसई) साहब ने मना किया है और कहा कि एसई तेरे से नाराज है तु उनसे मिल लेना इस पर एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी ने एईएन गुलाबसिंह की उपस्थिति में एसई को रिश्वत राशि बतौर कमीशन कार्यादेश का साठ से सत्तर पैसे व रनिंग का एक प्रतिशत देने की बात कही। एक्सईएन व एईएन से बात करने के बाद मैं आरएसएएमबी कार्यालय मे एलडी से संबंधित एप्लीकेशन देने अन्य कर्मचारियो के पास गया उसके बाद मैं आरएसएएमबी के सुपरीटेन्डेन्ट इन्जिनियर (एसई) श्री घनश्याम गुप्ता के कार्यालय मे गया जहां पर मेरी एसई श्री गुप्ता से मेरी फर्म के कार्यो के बिल के बारे मे बाते हुई और एसई श्री गुप्ता ने भी सांकेतिक रूप से रिश्वत राशि की मांग की है। ये सभी वार्ताएं डिजीटल वाईस रिकार्डर में मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी बनवारीलाल जाट द्वारा सुपुर्द किये गये डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर आज दिनांक को दर्ज वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी होती है। डिजीटल वाईस रिकोर्डर में दर्ज वार्ताओं में उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट ने अपनी

स्वंय, एक्सईन सुरेन्द्र चौधरी, एईएन गुलाबसिंह चौधरी, एसई श्री गुप्ता की आवाज की पहचान की। इन वार्ताओं में दिनांक 12.09.2022 की वाईस क्लिप 220912–002 में एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के कार्यालय के चैम्बर मे परिवादी बनवारीलाल जाट की एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी से एईएन गुलाबसिंह चौधरी की उपस्थिति में विस्तृत वार्ताएं परिवादी की फर्म के द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यो के बारे मे वार्ताएं है एवं परिवादी बनवारीलाल की फर्म के द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के कार्यो के बिल के बारे में वार्ताएं है जिसमे एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी द्वारा बिल तैयार करने वाली जेईएन प्रियंका चौधरी को बतौर रिश्वत राशि बिल का दो प्रतिशत व एसई श्री गुप्ता को कार्यादेश का साठ सत्तर पैसा व रनिंग बिल का एक प्रतिशत रिश्वत के रूप में देने की बात है जिसकी सहमती एईएन गुलाबसिंह चौधरी द्वारा भी वार्ताओं के दौरान दी गई है, इन्ही वार्ताओं मे परिवादी बनवारीलाल जाट द्वारा एक्सईएन से कहा गया कि आप बताओं आपका क्या करना है अर्थात एक्सईएन और एईएन का तो एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी सिस्टम फोलो करने का कहता है तथा सुरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट को रिश्वत राशि देने के लिए कहा गया तो परिवादी बनवारीलाल जाट ने कहा कि सारे बिलों का एक साथ ही दे जावुंगा जिसकी स्वीकारोक्ती सुरेन्द्र सिंह चौधरी की दर्जशुदा वार्ताओं मे की गई है। वार्ताएं सुनने के उपरान्त डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द कर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। इस प्रकार आज दिनांक को परिवादी बनवारीलाल जाट की एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी, एईएन गुलाबसिंह चौधरी, एसई श्री घनश्याम गुप्ता से हुई वार्ताओं एवं दिनांक 03.08.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट व एईएन गुलाबसिंह चौधरी के मध्य हुई वार्ताओं से प्रथम द्वष्टया स्पष्ट होता है कि परिवादी बनवारीलाल जाट की फर्म मैससे मोहन सिंह ठेकेदार द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यो के बिल पास करने के लिए आरएसएएमबी के एक्सईएन, एईएन, जेएईन, एसई, अन्य कर्मचारियों द्वारा परिवादी से रिश्वत बतौर कमीशन परसेन्टजवाईज प्राप्त की जाती रही है एवं वर्तमान में परिवादी की फर्म के चौमू पैकेज एवं आमेर पैकेज के बिलों को पास करने के लिए रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। तत्पश्चात दिनांक 06.10.2022 को समय 12.:15 पी.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट मय अपने दोस्त संजय उर्फ संजु के उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं विगत दिवसों मे मेरी साईटों पर चल रहे कार्यो तथा अति आवश्यक पारिवारिक कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नही हो पाया। इस दौरान मेरी गुलाबसिंह चौधरी एईएन से मेरी वार्ताएं हुई थी और गुलाबसिंह एईएन मुझे बुला रहा था। आज मैं गुलाबसिंह चौधरी एईएन के पास जाउंगा तो वह मुझसे मेरी फर्म के चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के पासशुदा बिल जो क्रमशः 18,13,000 रूपये व 2,61,000 जो लगभग 21 लाख रूपये के है इनसे संबंधित रिश्वत राशि स्वंय के लिए, एक्सईएन, जेएईन के लिए मांगेगा और वार्ताएं करेगा। वक्त 6:00 पी.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट मय अपने दोस्त संजय उर्फ संजु के उपस्थित कार्यालय आया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकोर्डर निकालकर विरेन्द्र कुमार कानि 66 की उपस्थिति में परिवादी बनवारीलाल जाट को वाईस रिकोर्डर पुनः इस्तेमाली प्रकिया समझाईस कर बंद हालत में रिकोर्डर वास्ते सत्यापन वार्ता सुपुर्द कर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट को मय संजय उर्फ संजु व विरेन्द्र कुमार कानि के वास्ते सत्यापन वार्ता गुलाबसिंह चौधरी एईएन के पास रवाना किया गया। वक्त 7:20 पी.एम. पर श्री विरेन्द्र कुमार कानि 66 ने स्वंय के मोबाईल से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी बनवारीलाल जाट की वार्ता करवाई तो परिवादी बनवारीलाल जाट ने बताया कि मैं संजु और विरेन्द्रजी के साथ रवाना होकर गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मकान के पास पंहुचे जहां पर विरेन्द्रजी वहीं पर अपनी उपस्थिति छुपाकर रूक गये तथा मैं और संजु वाईस रिकोर्डर ऑन करके गुलाबसिंह चौधरी के मकान पर गये जहां पर गुलाबसिंह नही मिले जिस पर मैने उनको कॉल किया तो गुलाबसिंह एईएन ने मुझे बताया कि मैं साईट पर बाहर गया था वापिस आ रहा हूं तु मेरे को 200 फिट बाईपास अजमेर रोड पर मिल जा मैं वही आ रहा हूं इस पर मैं रिकोर्डर बंद करके वापिस विरेन्द्रजी के पास आया और उनको सारी बात बताई तथा विरेन्द्रजी को बताया कि मैं व संजु गुलाबसिंह एईएन के पास 200 फिट बाईपास जा रहे है गुलाबसिंह एईएन दो सौ फिट से अपने घर तक हमारी गाडी में ही आयेगा इस दौरान मेरी गुलाबसिंह से वार्ता होगी। आप यहीं आसपास रहो। इसके बाद मैं व संजु मेरी गाडी से गुलाबसिंह एईएन के पास दौ सौ फिट बाईपास के लिए रवाना हुये तथा दो सौ फिट के पास पहुंचकर रिकोर्डर गाडी मे मैने ऑन करके अपने पास रख लिया फिर मैने संजु से गुलाबसिंह एईएन की बात कराई तो

गुलाबसिंह एईएन ने अपनी लोकेशन भेजी जिसके अनुसार मैं व संजु गुलाबसिंह एईएन के पास पहुंचे तो गुलाबसिंह हमारी गाडी में बैठ गया और गुलाबसिंह ने मेरी व संजु की उपस्थिति में मेरी फर्म के चौमू पैकेज तथा आमेर पैकेज के 21 लाख रूपये व चौमू पैकेज के बकाया साढे तीन लाख कुल 24 लाख 50 हजार रूपये के बिल पास करने के लिए रिश्वत राशि के रूप में स्वंय के लिए तीन प्रतिशत, एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के लिए डेड प्रतिशत व जेईएन प्रियंका के लिए एक प्रतिशत कुल 2450000 रूपये के साढे पांच प्रतिशत के हिसाब से 134000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि प्राप्ति के लिए आगामी दो तीन दिन का समय नियत किया व गुलाबसिंह चौधरी एईएन ने बतौर रिश्वत पैशगी मेरे से 7500 रूपये प्राप्त किये है। इसके बाद मैने गुलाबसिंह को उसके घर छोड दिया और रिकोर्डर को बंद करके विरेन्द्रजी के पास आकर रिकोर्डर उनको सुपुर्द कर दिया। परिवादी ने बताया कि अब मुझे गांव जाना है अग्रीम कार्यवाही के लिए आपके पास उपस्थित आ जाउंगा। इस पर परिवादी रूखसत किया तथा विरेन्द्र कुमार कानि को वाईस रिकोर्डर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक 07.10.2022 को समय 10:15 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री विरेन्द्र कुमार कानि ने कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा वाईस रिकोर्डर बंद हालत में निकालकर सुपुर्द किया जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस ऑन करके रिकोर्डर में दिनांक 06.10.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट की गुलाबसिंह चौधरी एईएन की रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया तो इन वार्ताओं के तथ्य दिनांक 06.10.2022 को परिवादी श्री बनवारीलाल जाट द्वारा बताई गयी तथ्यों के अनुरूप है। वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित हालत में कार्यालय की अलमारी में रखा गया। इस प्रकार परिवादी बनवारीलाल जाट की दिनांक 03.08.2022 व 06.10.2022 को आरएसएएमबी के एईएन गुलाबसिंह से हुई वार्ताओं एवं दिनांक 12.09.2022 को एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी, गुलाबसिंह एईएन, एसई श्री घनश्याम गुप्ता, व अन्य से हुई वार्ताओं से भलीभांती स्पष्ट होता है कि परिवादी बनवारीलाल जाट की फर्म मैसर्स मोहनसिंह ठेकेदार के द्वारा राजस्थान स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, टर्मिनल मार्केट जयपुर के विभिन्न प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य किये जा रहे है जिनमें वर्तमान मे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज मे किये गये कार्य के बिल व अन्य पैण्डिंग कार्यो चौंप, ढण्ड के पारित बिलों व पैण्डिंग बिलों को पास करने व परिवादी की फर्म को भुगतान करने के लिए आरएसएएमबी मे पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिलों की राशि के प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग परिवादी बनवारीलाल जाट से की जा रही है। मुख्य रूप से बिल की राशि का तीन प्रतिशत एईएन गुलाबसिंह चौधरी, दो प्रतिशत एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी, दो प्रतिशत प्रियंका चौधरी जेईएन, एक प्रतिशत एसई श्री घनश्याम गुप्ता द्वारा रिश्वत के रूप मे मांग करने के तथ्य ज्ञात हुये है। दिनांक 06.10.2022 को दौराने सत्यापन परिवादी बनवारीलाल जाट व एईएन गुलाबसिंह चौधरी के मध्य हुई वार्ता मे आमेर व चौंमू पैकेज के पारित करीब 21 लाख रूपयें व चौंप के पैण्डिंग साढे तीन लाख रूपये के बिल कुल 24,50,000 रूपये के बिलों की राशि का तीन प्रतिशत एईएन गुलाबसिंह चौधरी द्वारा स्वंय के लिए व डेड प्रतिशत एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के लिए व एक प्रतिशत प्रियंका चौधरी जेईएन के लिए कुल साढे पांच प्रतिशत के अनुरूप 1,34,000 रूपये की रिश्वत की मांग गुलाबसिंह चौधरी एईएन द्वारा की गई है एवं एईएन गुलाबसिंह चौधरी द्वारा दिनांक 03.08.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट से घिनोई के 143000 रूपये के पारित बिल से संबधित पांच प्रतिशत रिश्वत राशि 7000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जिसमे से बिल की तीन प्रतिशत रिश्वत राशि स्वंय के लिए व दो प्रतिशत एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के लिए प्राप्त की है। इसी क्रम में दिनांक 06.10.2022 को हुई एईएन गुलाबसिंह चौधरी द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट से 7500 रूपये रिश्वत राशि बतौर अग्रीम पेशगी प्राप्त की है। अतः अब तक के विस्तृत हालात चौकी प्रभारी श्री राजपाल गोदारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये तथा अग्रीम कार्यवाही हेतु परिवादी बनवारीलाल जाट को ब्यूरों कार्यालय मे उपस्थित होने के बारे मे वार्ता की तो परिवादी बनवारीलाल जाट द्वारा अग्रीम कार्यवाही हेतु सोमवार दिनांक 10.10.2022 को उपस्थित होने के लिए कहा गया। तत्पश्चात दिनांक 10.10.2022 को परिवादी के कार्यालय में उपस्थित नहीं आने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 14.10.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अग्रीम कार्यवाही हेतु सोमवार को प्रातः उपस्थित होने हेतु कहा। इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के श्री दयालशरण सैनी कनिष्ठ सहायक एवं विकास सैनी वरिष्ठ सहायक को बतौर स्वंतत्र गवाह पाबंद करवाकर कार्यालय में तलब किया गया गया। उक्त दोनों गवाहान से ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल होने की सहमति प्राप्त

करने के पश्चात इन्हे दिनांक 17.10.2022 को प्रातः 10 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.10.2022 को समय 12:30 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री बनवारीलाल जाट उपस्थित कार्यालय आया, जिसका स्वंतत्र गवाह श्री दयालशरण सैनी व श्री विकास सैनी से परिवादी बनवारीलाल जाट का परिचय करवाया। उपस्थित गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पढाई जाकर तहरीरी रिपोर्ट पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गवाहान से पुनः बतौर स्वंतत्र गवाह कार्यवाही शामिल होने की सहमती प्राप्त कर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की। समय 12:40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वंय की कार्यालय की अलमारी मे रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी बनवारीलाल जाट तथा आरएसएएमबी के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 03.08.2022, 12.09.2022, 06.10.2022 की वार्ताएं रिकॉर्ड है, को उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री दयालशरण सैनी व विकास सैनी के सामने निकालकर एसडी कार्ड लगे हुये रिकॉर्डर को ऑन कर कार्यालय के कम्प्यूटर/लेपटॉप की सहायता से सुनना प्रारम्भ कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता तैयार की व वार्ताओं की सात सी.डी. तैयार कर मार्क ए–1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5, ए–6 व ए–7 दिया जाकर सीडी मार्क ए–1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5 को सील्ड मोहर किया व ए–6 व ए–7 को खुला रखा गया। संपूर्ण प्रक्रिया की फर्द पृथक से तैयार की गई। समय 4:55 पी.एम. पर उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट ने अपने पास उपस्थित आये व्यक्ति का परिचय श्री संजय उर्फ संजु पुत्र श्री धुडमल चौधरी, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट कंठुन्दरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के रूप मे कराते हुये बताया कि यह मेरा जाति भाई व दोस्त है जो मेरी फर्म से संबंधित कार्यो की देखरेख मेरे साथ करता है और पूर्व मे दिनांक 06.10.2022 को जब मैं एईएन गुलाबसिंह चौधरी से वार्ता करने गया था उस समय भी संजय उर्फ संजु मेरे साथ था जो मेरे साथ आगे की कार्यवाही में साथ रहेगा, क्योंकि इसके रहने से गुलाबसिंह चौधरी व अन्य अधिकारी को शक नही होगा। इस पर उपस्थित संजय उर्फ संजु से परिवादी बनवारीलाल जाट द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के तथ्य ज्ञात होने के बारे पूछा तो संजय ने बताया कि मैं बनवारीलाल जाट के साथ उसकी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यो में बनवारीलाल की सहायता करता हूं तथा इन कार्यो के संन्दर्भ मे मेरी भी आरएसएएमबी के अधिकारियों से बात होती रहती है और मुझे बनवारीलाल जाट द्वारा करवाई जा रही इस कार्यवाही के बारे मे पूरी जानकारी है और मैं इस कार्यवाही मे अपनी सहमती से बनवारीलाल के साथ शामिल होना चाहता हूं। इसके बाद समय 5:00 पी.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट से गवाहान की उपस्थित में मुताबिक सत्यापन वार्ता (दिनांक 03.08.2022, 12.09.2022, 06.10.2022) आरएसएएमबी के अधिकारियों द्वारा परिवादी की फर्म के पूर्व मे पारित बिलों व पैण्डिंग कार्यो के बिलों को पास करने के लिए मांगी जा रही रिश्वत व दिनांक 06.10.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट व गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मध्य हुई वार्ता के अनुसार परिवादी की फर्म के चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के 21 लाख रूपये के बिल व चौमू पैकेज के बकाया साढे तीन लाख रूपये के बिल सहित कुल 2450000 रूपये के बिलों से संबंधित रिश्वत राशि तीन प्रतिशत एईएन गुलाबसिंह चौधरी के लिए, डेड प्रतिशत एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी, एक प्रतिशत जेईएन प्रियंका चौधरी के लिए कुल साढे पांच प्रतिशत रिश्वत राशि के अनुरूप 2450000 रूपये के साढे पांच प्रतिशत के हिसाब से 1,34,000 रूपये रिश्वत राशि देना तय किया गया है। अतः परिवादी बनवारीलाल जाट से इस संन्दर्भ मे संबंधित लोक सेवकों को मुताबिक सत्यापन वार्ता के दी जाने वाली रिश्वत राशि 134000 रूपये अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने को कहा तो परिवादी बनवारीलाल जाट ने बताया कि मेरी फर्म द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यो में चौमू पैकेज व आमेर पैकेज से संबंधित 2450000 रूपये के बिलों के संन्दर्भ में 134000 रूपये एईएन गुलाबसिंह चौधरी, एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी व जेईएन प्रियंका चौधरी को देने की बात एईएन गुलाबसिंह चौधरी ने की है तथा एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी ने भी प्रियंका चौधरी को रिश्वत राशि देने व एसई श्री घनश्याम गुप्ता के लिए रिश्वत राशि देने की बात की है परन्तु प्रियंका चौधरी जेईएन से मेरी इस संन्दर्भ मे कोई बात नही हुई है व मेरे से कभी डायरेक्ट पैसे नही लेती है तथा एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के लिए रिश्वत राशि एईएन गुलाबसिंह चौधरी ही लेता आया है और एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी मेरे से डायरेक्ट रिश्वत राशि नही प्राप्त करेगा। मेरी हमेशा गुलाबसिह चौधरी एईएन से रिश्वत राशि के बारे मे उसके घर पर ही बात होती है तथा वह मेरे से रिश्वत राशि घर पर ही लेगा। अतः आज मैं कार्यालय समय के बाद अगर गुलाबसिंह चौधरी के पास जावुंगा तो वह मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इस पर परिवादी बनवारीलाल जाट को

एईएन गुलाबसिंह, एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी व जेईएन प्रियंका चौधरी को मुताबिक सत्यापन वार्ता दी जाने वाली रिश्वत राशि 134000 रूपये पेश करने को कहा तो उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट ने बताया कि अभी मेरे पास केवल 30,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है एवं कुल रिश्वत राशि 134000 रूपये जो गुलाबसिंह चौधरी एईएन ने मेरे से मांग की है उसमे से गुलाबसिंह चौधरी एईएन द्वारा स्वंय के लिए 24,50000 रूपये के तीन प्रतिशत के अनुसार 73500 रूपये बनते है जिसके आधे करीब 36750 रूपये बनते है इसमे से 7500 रूपये गुलाबसिंह चौधरी एईएन द्वारा दिनांक 06.10.2022 को मेरे से ले लिये थे, इसलिए अब अगर मैं गुलाबसिंह चौधरी के पास 30,000 रूपये लेकर जावुंगा तो गुलाबसिंह चौधरी एईएन मेरे से रिश्वत राशि 30000 रूपये प्राप्त कर लेगा। इस पर उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट द्वारा अपने पास से गुलाबसिंह चौधरी एईएन को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 30,000 रूपये पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किये। नोटों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटों के नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोटों कुल 30,000/– रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बनवारीलाल जाट की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास सैनी से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री बनवारीलाल जाट की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से रखवाया गया। श्री राजकुमार हैड कानि. 35 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की अलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को नष्ट करवाया गया। उपस्थितान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक क्रिया मुताबिक फर्द दृष्टांत समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री बनवारीलाल जाट को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मो0 नं0 8386050807 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। श्री राजकुमार हैड कानि. 35 के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबोक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री बनवारीलाल जाट को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री बनवारीलाल जाट को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस मय एसडी कार्ड के रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा राजकुमार हैड कानि. 35 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय मे ही छोडा गया। पृथक से फर्द मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य एवं परिवादी श्री बनवारीलाल जाट द्वारा दर्ज करवाये गये तथ्यों के मुताबिक परिवादी बनवारीलाल जाट संदिग्ध अधिकारी श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के पास 30000 रूपये रिश्वत राशि देने जायेगा जिसके संन्दर्भ मे अग्रीम कार्यवाही की जानी है। दिनांक 12.09.2022 की सत्यापन वार्ता के अनुसार आरएसएएमबी के अधिशाषी अभियन्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी द्वारा भी परिवादी बनवारीलाल जाट के फर्म से संबंधित कार्यो के पासशुदा एवं पैण्डिंग बिलों को पारित करने के लिए कमीशन के रूप मे रिश्वत राशि की मांग स्वंय के लिए, जेईएन प्रियंका चौधरी के लिए एवं एसई घनश्याम गुप्ता के लिए की गई है जिनसे एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के विरूद्व भी कार्यवाही करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है परन्तु परिवादी बनवारीलाल जाट के पास फिलहाल एईएन गुलाबसिंह चौधरी को 30000 रूपये रिश्वत राशि देने की व्यवस्था ही हो पाई है तथा वह इस कारण एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के पास नही जाना चाहता तथा परिवादी का कहना है कि एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी मुझसे डायरेक्ट रिश्वत राशि प्राप्त नही

करेगा, वह एईएन गुलाबसिंह चौधरी के माध्यम से ही रिश्वत राशि प्राप्त करता है। अतः उपलब्ध जाब्तें मे से श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक को मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि 55, श्री सफी मोहम्मद कानि 173, कुमार सानु कानि 138 के मय वाहन सरकारी आरएसएएमबी के अधिशाषी अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी के बारे में आसूचना एकत्रित कर गोपनीय रूप से सुरेन्द्र चौधरी एक्सईएन की निगरानी करने का निर्देश देकर रवाना किया गया। समय 6.45 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मध्यम मार्ग मानसरोवर जयपुर पहुंच कर मुकीम हुआ। इसी दौरान रवानाशुदा श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक ने अवगत कराया कि निर्देशानुसार श्री सुरेन्द्र चौधरी एक्सईएन आरएसएएमबी जयपुर के संन्दर्भ में आसूचना एकत्रित कर मैं सिविल लाईन्स इम्पेरियल फ्लेट, प्लाट नम्बर 47, रामनगर चौराहा के पास सिविल लाईन्स, थाना सोडाला जयपुर के बाहर पंहुच कर उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हूं। श्री सुरेन्द्र चौधरी का इस बिल्डिंग मे प्लेट नम्बर 205 है तथा अभी गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री सुरेन्द्र चौधरी अपने प्लेट पर ही है। अतः श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक को अपनी उपस्थिति छुपाते हुये श्री सुरेन्द्र चौधरी की गोपनीय रूप से सतत निगरानी करने व अग्रीम निर्देश की पालना मे मुकीम किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी बनवारीलाल जाट के मोबाईल से श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मोबाईल पर समय 06.55 पीएम पर दो बार कॉल करवाई गई तो गुलाबसिंह चौधरी ने कॉल अटेन्ड नही किया। इसके उपरान्त समय 07.00 पीएम पर परिवादी बनवारीलाल जाट के मोबाईल पर गुलाबसिंह चौधरी का कॉल आया जिस पर परिवादी बनवारीलाल जाट ने कहा कि सर आप घर पर ही हो ना मैं आ र हा हूं तो गुलाबसिंह चौधरी द्वारा कहा गया कि मैं अभी घर पर नही हूं, अपने दोस्त के पास बाहर आया हुआ हूं। मुझे टाईम लगेगा, आप सुबह आ जाना तो परिवादी द्वारा कहा गया कि आप फ्रि हो जाओं तो मुझे कॉल कर देना। समय 7.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी व संजय के मानसरोवर मध्यम मार्ग के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये गुलाबसिंह चौधरी एईएन के परिवादी के पास कॉल आने के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 9.00 पी.एम. तक गुलाबसिंह चौधरी एईएन का कोई कॉल परिवादी बनवारीलाल जाट के पास नही आया तथा उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट ने बताया कि अब गुलाबसिंह चौधरी का मेरे पास कॉल आने की सम्भावना नही है। गुलाबसिंह ने कल सुबह आने के लिए कहा था। अतः अग्रीम कार्यवाही आईन्दा किया जाना प्रस्तावित होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादीगण के मध्यम मार्ग मानसरोवर से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक को सुरेन्द्र चौधरी एक्सईएन की सतत निगरानी गोपनीय रूप से जारी रखने व पुलिस निरीक्षक के हमराह टीम को प्रातः 07 एएम पर सुरेन्द्र चौधरी के फ्लेट की बिल्डिंग के बाहर पहुंच कर निगरानी जारी रखने के निर्देश दिये गये। समय 9.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय पहुंचा जहां पर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से मुताबिक फर्द दृष्टान्त दी जाने वाली रिश्वत राशि 30000 रूपये पांच– पांच सौ रूपये के 60 नोट उपस्थित श्री राजकुमार हैड कानि 35 से निकलवाई जाकर प्लास्टिक की थैली में रखकर राजकुमार हैड कानि से कार्यालय की अलमारी मे पृथक से सुरक्षित रखी गई व परिवादी बनवारीलाल जाट से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बंद हालात मे प्राप्त कर स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय तथा स्वतंत्र गवाहान, हमराहियान जाब्ते को गोपनीयता बरतने व प्रातः 07.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.10.2022 को समय 7.10 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट, संजय व दोनो स्वतंत्र गवाहान व पूर्व का हमराहियान जाब्ता व श्री राजकुमार हैड कानि 35 उपस्थित कार्यालय आने पर श्री राजकुमार हैड कानि 35 से कार्यालय की अलमारी में रखी गई रिश्वत राशि 30000 रूपये पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकलवाया एवं नोटों के नम्बर राजकुमार हैड कानि से बुलवा कर स्वंतत्र गवाह श्री विकास सैनी द्वारा राजकुमार हैड कानि द्वारा बोले गये नोटो के नम्बरों का मिलान फर्द दृष्टान्त पेशकशी से करवा कर रिश्वत राशि 30000 रूपये राजकुमार हैड कानि से परिवादी बनवारीलाल जाट की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गये तथा कार्यालय की अलमारी से एसडी कार्ड लगा हुआ डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द हालत मे परिवादी श्री बनवारीलाल जाट को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। समय 7.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजपाल गोदारा अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमति प्रीति चेची पुलिस निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र वरिष्ठ

सहायक, श्री अशोक कुमार कानि. 99, विरेन्द्र कुमार कानि 66, अशोक कुमार कानि 434, श्रीमति ममता मकानि मय स्वतंत्र गवाह श्री दयालशरण सैनी व विकास सैनी, परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय के सरकारी/प्राईवेट वाहनों के मय मय ट्रैपबॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक सामान के वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु रवाना होकर वक्त करीब 8.00 ए.एम. पर मध्यम मार्ग मानसरोवर जयपुर पहुंचा। समय 8.15 ए.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट ने संजय उर्फ संजु के मोबाईल नम्बर 8104478986 से श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मोबाईल नम्बर 9413386666 पर कॉल करवाया तो गुलाबसिंह चौधरी द्वारा कहा गया कि मैं अभी नहाने जा रहा हूं, बाद मे कॉल करता हूं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता गवाहान, परिवादीगण के मध्यम मार्ग मानसरोवर से रवाना होकर गुलाबसिंह चौधरी के मकान नम्बर 21/197 कावेरी पथ मानसरोवर के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 8.45 ए.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व संजय उर्फ संजु गुलाबसिह चौधरी एईएन के मकान पर जा रहे है और मकान के बाहर जाकर हम गुलाबसिंह को कॉल करेगें तो गुलाबसिंह रिश्वत प्राप्त करने के लिए हमारे पास आ जायेगा, इस पर वाईस रिकॉर्डर ऑन करके परिवादी बनवारीलाल जाट को सुपुर्द कर संजय उर्फ संजु के साथ गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मकान 21/197, कावेरी पथ मानसरोवर पर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान के परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 9.00 ए.एम. पर परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय उर्फ संजु गुलाबसिंह चौधरी एईएन के मकान नम्बर 21/197 के सामने खडे हुये दिखाई दिये तथा बनवारीलाल जाट मोबाईल पर कॉल करता हुआ दिखा, इसके उपरान्त परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय उर्फ संजु के पास मकान नम्बर 21/197 का गेट खोलकर एक व्यक्ति आया जो परिवादी बनवारीलाल जाट व संजय को अपने साथ मकान मे ले गया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 9.15 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट ने अपने मोबाईल नम्बर 9772002798 से मेरे मोबाईल नम्बर 8386050807 पर मिस कॉल कर कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के प्लाट नम्बर 21/197, कावेरी पथ के बाहर पहुंचे जहां पर मकान से बाहर निकलते हुये मुख्य दरवाजे के पास परिवादी श्री बनवारीलाल जाट व संजय उर्फ संजु व एक व्यक्ति के साथ निकलते हुये दिखाई दिये जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा व डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री बनवारीलाल जाट ने बताया कि यह श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन है जिन्होने मुझसे अभी अभी 30,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री गुलाबसिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति जाट, उम्र 58 साल ग्राम मोती का नंगला तहसील कुम्हेर, थाना कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवास प्लाट नम्बर 21/197, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर होना बताया, इस पर परिवादी के पास खडे गुलाब सिंह चौधरी एईएन को हमराह जाप्ता की मदद से उसका दाहिना हाथ श्री विकास सैनी स्वतंत्र गवाह व बांया हाथ श्री अशोक कुमार कानि. 434 से पकडवाया जाकर मकान के अन्दर भूतल पर स्थित बाहर वाले कमरे में ले जाकर श्री गुलाबसिंह एईएन से परिवादी बनवारीलाल जाट से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 30,000/– रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी गुलाबसिंह चौधरी ने परिवादी की ओर ईशारा करके कहा कि बनवारीजी हमारे विभाग मे ठेकेदारी का काम करते है, इनको सिमेन्ट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी जो मेरे से इन्होने 30,000 रूपये उधार लिये थे, इसने वो ही मेरे उधार के रूपये वापिस लौटाये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी बनवारीलाल जाट से पूछा तो उसने बताया कि एईएन साहब झूठ बोल रहे है, मैं एग्रीकल्चर बोर्ड मे ठेकेदारी का काम करता हूं। मेरी फर्म के चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के 21 लाख रूपये के बिल व चौमू पैकेज के बकाया साढे तीन लाख रूपये के बिल सहित कुल 2450000 रूपये के बिल पैण्डिंग थे जिनको पास करने की ऐवज मे तीन प्रतिशत के हिसाब से श्री गुलाबसिंह एईएन ने रिश्वत की मांग की थी, जिन्होंने मेरे से तीस हजार रूपये बिलों को पास करने की एवज मे रिश्वत के प्राप्त किये है। इस पर पुनः गुलाबसिंह चौधरी एईएन से 30,000 रूपये परिवादी बनवारीलाल से रिश्वत के बारे मे पूछा तो गुलाबसिंह चौधरी ने पूर्व कथनों की ताईद की, गुलाबसिह चौधरी से इन 30000 रूपये रिश्वत राशि मे से

आरएसएएमबी के अन्य अधिकारी एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी व अन्य का हिस्सा होने के बारे मे पूछा तो गुलाबसिंह चौधरी ने किसी अन्य अधिकारी व स्वंय के रिश्वत 30000 रूपये लिये जाने से इन्कार किया व कहा कि बनवारी ने मेरे को उधार के 30000 रूपये वापिस दिये है। दर्ज रहे कि दिनांक 12.09.2022 की सत्यापन वार्ता के अनुसार आरएसएएमबी के अधिशाषी अभियन्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी द्वारा भी परिवादी बनवारीलाल जाट के फर्म से संबंधित कार्यो के पासशुदा एवं पैण्डिंग बिलों को पारित करने के लिए कमीशन के रूप मे रिश्वत राशि की मांग स्वंय के लिए, जेईएन प्रियंका चौधरी के लिए एवं एसई घनश्याम गुप्ता के लिए की गई है जिनसे एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी के विरूद्व भी कार्यवाही करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक जो मय टीम श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिशाषी अभियन्ता, आरएसएएमबी जयपुर के इम्पेरियल प्लेटस, सिविल लाईन्स, जयपुर की बिल्डिंग के बाहर सुरेन्द्र चौधरी की गोपनीय निगरानी कर रहे है को कॉल करके सुरेन्द्र चौधरी अधिशाषी अभियन्ता को डिटेन कर अग्रीम कार्यवाही करने तथा डिटेनशुदा सुरेन्द्र चौधरी को अनुसंधान हेतु ब्यूरो कार्यालय लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात परिवादी बनवारीलाल जाट, संजय व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेपबॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर, गिलास मे स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी बनवारीलाल जाट तथा आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात ट्रेपबॉक्स से दुसरा साफ कांच का गिलास निकलवाकर उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री बनवारीलाल जाट तथा आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दयालशरण सैनी से परिवादी बनवारीलाल जाट के बतायेनुसार गुलाबसिंह चौधरी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो जेब में से 500–500 के नोटों की गड्डी निकली जिससे गिनवाया तो पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गुलाबसिंह चौधरी एईएन की पेन्ट की अन्य जेबों की तलाशी गवाह दयालशरण सैनी से लिवाई गई तो पेन्ट की बांयी जेब मे एक एप्पल कम्पनी का आईफोन 13प्रो मिला जिसमें मोबाईल नम्बर 9413386666 की सीम लगी है जिसका पासवर्ड आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन ने 171965 बताया। उक्त मोबाईल फोन को वास्ते अनुसंधान कब्जा एसबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लेने हेतु आरोपी के मकान प्रथम तल से एक लोवर मंगवा कर आरोपी गुलाबसिंह चौधरी की पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर लोवर पहनावाया गया तथा गुलाबसिंह चौधरी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटावकर उक्त तैयार शुदा घोल में

डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तंत्पश्चात् पेन्ट की जेब को सुखावकर जेब पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, लालकोठी जयुपर द्वारा परिवादी श्री बनवारीलाल जाट की फर्म मोहन सिंह ठेकेदार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो से संबंधित चौमू पैकेज, आमेर पैकेज व अन्य कार्यो के पासशुदा बिल व पैण्डिंग बिल पास करने की ऐवज में स्व्य व आरएसएएमबी के अन्य अधिकारी सुरेन्द्र चौधरी एक्संईएन व जेईएन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए कुल 2450000 रूपये के बिलों का साढे पांच प्रतिशत(तीन प्रतिशत स्वंय के लिए, डेड प्रतिशत एक्सईएन के लिए व एक प्रतिशत जेईएन के लिए) बतौर कमीशन रिश्वत राशि 134000 रूपये मांग के अनुसरण में आज परिवादी श्री बनवारीलाल जाट से 30000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने से आरोपी गुलाबसिंह चौधरी एईएन के विरूद्व अपराध धारा 7, पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई, रिश्वत बरामदगी मुर्तिब की गई। आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी, सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन ने लिखित मे अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया। समय 11.40 ए.एम. पर श्री गुलाबसिंह चौधरी सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को पृथक से जरिये फर्द गिरप्तार किया गया। इसके पश्चात् घटनास्थल का नक्शा मौका का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात् समय 12.05 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादीगण व गिरप्तारशुदा आरोपी श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन, जब्तशुदा आर्टिकल्स, ट्रेपबॉक्स व अनुसंधान बॉक्स व सरकारी/प्राईवेट वाहनो के घटनास्थल से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 1.00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। समय 1.15 पी.एम. पर श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान टीम व निर्देशानुसार डिटेनशुदा श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिशाषी अभियन्ता के उपस्थित कार्यालय आये एवं अवगत करवाया कि निर्देशानुसार मेरे द्वारा श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिशाषी अभियन्ता आरएसएएमबी जयपुर को उनके रिहायशी फ्लेट 205, इम्पेरियल फ्लेटस, प्लाट नम्बर 47, सिविल लाईन्स रामनगर चौराहा के पास, सोडाला जयपुर पहुंच कर डिटेन किया व आवश्यक पूछताछ करने के उपरान्त मय सुरेन्द्र चौधरी के उपस्थित आया हूं । मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री सुरेन्द्र चौधरी को अपना परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री अजीराम डागुर, जाति जाट, उम्र 57 साल, निवासी गांव पालतू, थाना नगर जिला भरतपुर हाल प्लाट नम्बर 498 लाजपत नगर, स्कीम नम्बर 2, थाना कोतवाली अलवर हाल निवास प्लेट नम्बर 205, इम्पेरियल फ्लेट, प्लाट नम्बर 47, रामनगर चौराहा के पास सिविल लाईन्स, थाना सोडाल जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर बताया। तत्पश्चात सुरेन्द्र सिंह चौधरी से विस्तृत पूछताछ प्रारम्भ की गई जिसने पूछताछ पर बताया कि मैं परिवादी बनवारीलाल जाट को जानता हूं क्योंकि इनकी फर्म द्वारा हमारे विभाग आरएसएएमबी के अन्तर्गत कई निर्माण संबधी प्रोजेक्टों पर कार्य किये जा रहे है जिसमे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज भी शामिल है। मेरी बनवारीलाल जाट से दिनांक 12.09.2022 को वार्ताएं हुई थी, उस समय एईएन गुलाबसिंह चौधरी भी मेरे कक्ष मे मौजुद थे,। मेरे द्वारा बनवारीलाल जाट से कोई रिश्वत राशि नही मांगी गई है एवं ना ही मैने बनवारीलाल जाट से कोई रिश्वत राशि ली है। श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी से विस्तृत अनुसंधान कर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक के उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप दिनांक 12.09.2022 को परिवादी बनवारीलाल जाट व सुरेन्द्र चौधरी अधिशाषी अभियन्ता आरएसएएमबी जयपुर के मध्य वार्ताएं हुई है जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की गई है तथा वार्ताओं की शब्द बशब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द मे दर्ज है।

जिसके अनुसार एक्सईएन सुरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट की फर्म द्वारा किये जा रहे चौमू पैकेज व आमेर पैकेज के बिलो व कार्यो के संन्दर्भ मे विस्तृत वार्ताएं है तथा सुरेन्द्र सिंह चौधरी एक्सईएन द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट से बिलों की प्रतिशत के हिसाब से स्वंय के लिए रिश्वत की मांग की गई एवं जेईएन प्रियंका चौधरी को बिलों का दो प्रतिशत रिश्वत की राशि देने के लिए परिवादी को कहा गया एवं बिलों की राशि के हिसाब से बतौर रिश्वत एसई घनश्याम गुप्ता को बिलों का साठ सत्तर पैसा व रंनिग बिल का एक प्रतिशत रिश्वत के रूप मे देने के लिए परिवादी को कहा जाता है तथा सुरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट को रिश्वत राशि देने के लिए कहा गया तो परिवादी बनवारीलाल जाट ने कहा कि सारे बिलों का एक साथ ही दे जावुंगा जिसकी स्वीकारोक्ती सुरेन्द्र सिंह चौधरी की दर्जशुदा वार्ताओं मे की गई है। इन्ही वार्ताओ के अनुसरण मे आज दिनांक को ट्रेप कार्यवाही के दौरान रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये एईएन गुलाबसिंह चौधरी को गिरप्तार किया गया है जिनके द्वारा भी परिवादी बनवारीलाल जाट को बतौर रिश्वत एक्सईएन सुरेन्द्र चौधरी को बिलों का दो प्रतिशत व डेड प्रतिशत रिश्वत के रूप मे दिये जाने की बात की गई है व पूर्व मे गुलाबसिंह चौधरी द्वारा बनवारीलाल जाट से दिनांक 03.08.2022 को सात हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई थी जिसमे से दो प्रतिशत के हिसाब से एक्सईएन सुरेन्द्र सिंह चौधरी के लिए व 03 प्रतिशत गुलाबसिंह ने अपने स्वंय के लिए प्राप्त की थी। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से भलीभांती स्पष्ट होता है कि सुरेन्द्रसिंह चौधरी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा परिवादी बनवारीलाल जाट की फर्म मैसर्स मोहन सिंह ठेकेदार द्वारा आरएसएएमबी के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो के पासशुदा बिल व पैण्डिंग बिलों के लिए स्वंय के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है व अपने अधिनस्थ अधिकारी जेईएन प्रियंका चौधरी, गुलाबसिंह एईएन व उच्च अधिकारी एसई घनश्याम गुप्ता के लिए भी रिश्वत की मांग सुरेन्द्र चौधरी द्वारा की गई है। अतः अब तक की कार्यवाही से श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के द्वारा स्वयं परिवादी बनवारी लाल जाट से स्वयं के लिए तथा अपने अधिनस्थ जे.ई.एन., ए.ई.एन. व उच्च अधिकारी एस.ई. के लिए रिश्वत की मांग की जाकर ए.ई.एन. गुलाब सिंह व अन्य के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षड़यन्त्र के तहत संगठित भ्रष्टाचार के प्रभावी तथ्य आये हैं। जिनसे श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120 बी भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी सुरेन्द्र सिंह चौधरी एक्सईएन ने लिखित मे अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया गया। समय 2.00 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी हाल अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को पृथक से जरिये फर्द गिरप्तार किया गया। समय 2.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वंय की कार्यालय की अलमारी मे रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी बनवारीलाल जाट, संजय उर्फ संजू तथा श्री गुलाब सिंह चौधरी सहायक अभियंता आरएसएएमबी के मध्य आज दिनांक 18.10.2022 को रिश्वत लेन–देन के समय वार्ताएं रिकॉर्ड है, को उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट, संजय उर्फ संजू व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री दयालशरण सैनी व विकास सैनी के सामने निकालकर एसडी कार्ड लगे हुये रिकॉर्डर को ऑन कर कार्यालय के कम्प्यूटर/लेपटॉप की सहायता से सुनना प्रारम्भ किया। रिकॉर्डर में दिनांक 18.10.2022 की रिकॉर्ड वार्ता में उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट ने एक आवाज स्वंय की व दुसरी आवाज श्री गुलाबसिंह चौधरी एईएन आरएसएएमबी व तीसरी आवाज संजय उर्फ संजू की होना पहचान की। संबंधित वार्ता को उपस्थित परिवादी बनवारीलाल जाट व स्वंतत्र गवाहान के समक्ष सुना गया व वार्ता की शब्द बशब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता तैयार की। वार्ताओं की सात सीडी मार्क बी–1, बी–2, बी–3, बी–4, बी–5, बी–6 व बी–7 तैयार कर सीडी मार्क बी–1, बी–2, बी–3, बी–4, बी–5, को सील्ड मोहर किया व मार्क बी–6 व बी–7 को खुली रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन देन वार्ताओं से संबंधित एसडी कार्ड Sandisk ULTRA 32 जीबी (मूल सोर्स) को मुताबिक फर्द सील्ड मोहर कर मार्क–ए दिया जाकर जप्त किया गया। परिवादी बनवारीलाल जाट की फर्म मैसर्स मोहन सिंह ठेकेदार को आरएसएएमबी डिवीजन टर्मिनल मार्केट किसान भवन लालकोठी जयपुर के द्वारा जारी वेटरनिटी अस्पताल निर्माण से संबंधित चौमू पैकेज के टेण्डर/कार्यादेश नं. 1/2020–21 पत्र कमांक 128–135 दिनांक 02.06.2021 व वेटरनिटी अस्पताल निर्माण से संबंधित आमेर पैकेज

के टेण्डर/कार्यादेश नं. 2/2020–21 पत्र क्रमांक 107–117 दिनांक 02.06.2021 से संबंधित पत्रावली की सत्यप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही से श्री सुरेन्द्र सिंह हाल अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री गुलाब सिंह सहायक अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के द्वारा आपस में एवं कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के अन्य अधिकारीगण से मिलीभगत कर परिवादी श्री बनवारीलाल जाट की फर्म मोहन सिंह ठेकेदार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो से संबंधित चौमू पैकेज, आमेर पैकेज व अन्य कार्यो के पासशुदा बिल व पैण्डिंग बिल पास करने की ऐवज में सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिशाषी अभियंता द्वारा परिवादी बनवारी लाल जाट से स्वयं के लिए तथा अपने अधिनस्थ जे.ई.एन., ए.ई.एन. व उच्च अधिकारी एस.ई. के लिए रिश्वत की मांग की गई एवं गुलाब सिंह चौधरी सहायक अभियंता द्वारा परिवादी बनवारी लाल से उसकी फर्म मोहन सिंह ठेकेदार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो से संबंधित चौमू पैकेज, आमेर पैकेज व अन्य कार्यो के पासशुदा बिल व पैण्डिंग बिल पास करने की ऐवज में स्वंय व आरएसएएमबी के अन्य अधिकारी सुरेन्द्र चौधरी एक्सईएन व जेईएन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए कुल 2450000 रूपये के बिलों का साढे पांच प्रतिशत(तीन प्रतिशत स्वंय के लिए, डेड प्रतिशत एक्सईएन के लिए व एक प्रतिशत जेईएन के लिए) बतौर कमीशन रिश्वत राशि 134000 रूपये की मांग की गई। जिसके अनुसरण में श्री गुलाब सिंह चौधरी सहायक अभियंता द्वारा आज दिनांक 18.10.2022 को परिवादी श्री बनवारीलाल जाट से 30000/– रूपये रिश्वत प्राप्त की गई, जो उसकी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई। जिससे आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी अधिशाषी अभियंता एवं श्री गुलाब सिंह चौधरी सहायक अभियंता का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.दं. सं. का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में श्री घनश्याम गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के द्वारा दिनांक 12.09.2022 की सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी बनवारी लाल जाट से वार्ता सांकेतिक रूप से की गई हैं, जिससे श्री घनश्याम गुप्ता अधीक्षण अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान उनकी भूमिका स्पष्ट की जावेगी तथा सत्यापन वार्ताओं के दौरान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की वार्ताओं के तथ्य दर्ज हुए हैं। जिनके संदर्भ में भी अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

अतः 1. श्री गुलाबसिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति जाट, उम्र 58 साल ग्राम मोती का नंगला तहसील कुम्हेर, थाना कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवास प्लाट नम्बर 21/197, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट, जयपुर 2. श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री अजीराम डागुर, जाति जाट उम्र 57 साल निवासी गांव पालतू थाना नगर जिला भरतपुर हाल प्लाट नम्बर 498 स्कीम नम्बर 2 लाजपथ नगर थाना कोतवाली अलवर हाल फ्लेट नम्बर 205, इम्पिरियल फ्लेट, प्लाट नम्बर 47 रामनगर चौराहा के पास सिविल लाईन्स जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट जयपुर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड टर्मिनल मार्केट, जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अभिषेक पारीक)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अभिषेक पारीक, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री अजीराम, अधिशाषी अभियंता एवं 2. श्री गुलाब सिंह चौधरी पुत्र श्री चन्दन सिंह, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट, जयपुर एवं 3. अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टर्मिनल मार्केट, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 416/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3619-24 दिनांक 19.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

19/10/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।